

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

18⁹/₂₅

पत्रावली पेय डपी। पत्रावली हमारे
समक्ष वास्तु आदेश हेतु पेय डी गडी
वकील जापटी डप। हमने पत्रावली का
अध्ययन किया। वकील प्राप्ति की बफत
पर मनन किया गया। प्राप्ति का
प्राप्ति - पत्र स्वीकार किया जा रहा है।
विनियम निर्णय अलग से लिया जाकर
आ. 0. 0. किया गया। पत्रावली जपल
धुमा होकर बहरोड़ से कर रहा। बाद प्राप्ति
दा. 0. 0. दलाल है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश कि गई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मिन प्रार्थीया वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ के रहने वाली है ओर प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खाता संख्या 148 के खसरा नम्बर 1043 रकबा 1.75 है०, 1044 रकबा 0.25 है०, तथा खाता संख्या 149 के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.04 है०, 2150 रकबा 0.11 है०, 2159 रकबा 0.31 है०, 2203 रकबा 0.06 है०, 343 रकबा 0.14 है०, 433 रकबा 0.14 है०, 434 रकबा 0.07 है०, 662 रकबा 0.08 है०, 733 रकबा 0.12 है० एवं खाता संख्या 218 के खसरा नम्बर 202 रकबा 0.04 है०, 344 रकबा 0.10 है०, 926 रकबा 0.10 है० वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ में स्थित है। मिन प्रार्थीया की वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ (राज.) की खातेदारी आराजी जिसके हाल उपरोक्त खसरा नम्बर जिसके खाता संख्या 148, 149, 218 के राजस्व रिकार्ड में मिन प्रार्थीया के नाम के खाता में खातेदार के कोलम में लाली की पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़ (राज.) का अंकन किया हुआ है। जो गलत है जबकि मेरे सभी सरकारी दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड में मेरा सही नाम सुनीता पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल कोटपूतली बहरोड़ (राज.) दर्ज है। इस कारण से मेरा नाम लाली पुत्री बनवारीलाल का अंकन हाल राजस्व रिकार्ड में से कलमजन किया जाकर, सरकारी दस्तावेजात के आधार पर वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल कोटपूतली बहरोड़ (राज.) के हाल राजस्व रिकार्ड में सुनीता पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़ किया जाना न्यायसंगत है। मिन प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एव बैंक के खाता पासबुक में भी मेरा सही नाम सुनीता पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल कोटपूतली बहरोड़ (राज.) है इस कारण से मेरे नाम के हाल राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ (राज.) के खाता संख्या 148, 149, 218 में दर्ज मेरा नाम लाली पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़ (राज.) को कलमजन किया जाकर, सही दस्तावेजात के आधार पर मेरे नाम के हाल राजस्व रिकार्ड को सही नाम सुनीता पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड़ (राज.) का हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं गिरदावरीजात में अंकन का अमल दरामद किया जाना लाजिम कानूनी है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताहाल वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड़ (राज.) के हाल राजस्व रिकार्ड के खाता संख्या 148, 149, 218 में मिन प्रार्थीया के नाम के

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

खातेदार के कोलम में मेरा नाम लाली पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड (राज.) के अंकन का कलमजन किया जाकर शुद्धिकर कर पालना मे सुनीता पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी महाराजावास तहसील बहरोड (राज.) का हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, गिरदावरीजात में अमलदरामद करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादीगण स्वयं सिद्ध करे बाबत अंकित किया है।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1043 व 1044 में लाली पुत्री बनवारीलाल हिस्सा 1/21 जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार व जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 146, 218 में लाली पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक पटवारी हल्का महाराजा कि रिपोर्ट के अनुसार वाके ग्राम महाराजावास में हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खाता स0 148,149 एवं 218 लाली पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण दर्ज रिकार्ड है अब प्रार्थ प्रार्थी मुताबिक संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड एवं माध्यमिक परीक्ष अंकतालिका के आधार पर लाली की जगह शुद्ध कर सुनीता नाम करवाना चाहती है रिपोर्ट सादर प्रस्तुत कर बबत अंकित किया है। विवादित आराजी के सह खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि लाली पुत्री बनवारीलाल की जगह शुद्ध नाम सुनीता पुत्री बनवारी लाल जाति ब्राहमण किया जाता है तो उचित होगा इसमें हमे कोई आपत्ति नही है,बाबत अंकित किया है। प्रार्थी के आधार कार्ड अंकतालिका में सुनीता पुत्री बनवारीलाल दर्ज है। प्रार्थी का नाम विवादित आराजी खसरा नम्बर 1043 व 1044 में लाली पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार के स्थान पर सुनीता पुत्री बनवारीलाल जाति ब्राहमण मुताबिक सह खातेदारो के शपथ पत्र व आधार कार्ड एवं पटवारी हल्का महाराजावास की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज करवाना चाहती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :-

अतः आदेश है कि आराजी खाता संख्या 148 के खसरा नम्बर 1043 रकबा 1.75 है0, 1044 रकबा 0.25 है0, तथा खाता संख्या 149 के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.04 है0, 2150 रकबा 0.11 है0, 2159 रकबा 0.31 है0, 2203 रकबा 0.06 है0, 343 रकबा 0.14 है0, 433 रकबा 0.14 है0, 434 रकबा 0.07 है0, 662 रकबा 0.08 है0, 733 रकबा 0.12 है0 एवं खाता संख्या 218 के खसरा नम्बर 202 रकबा 0.04 है0, 344 रकबा 0.10 है0, 926 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम महाराजावास तहसील बहरोड में दर्ज लाली पुत्री बनवारीलाल के स्थान पर सुनीता पुत्री बनवारीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड को हाल भू-अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड को बहकाम जारी किया जावे।

आज दिनांक 18/9/25 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

राजकिशोर मीना-॥

उपसह आधीशरी
बहरोड (कोटवारी बहरोड)